यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री डी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.12.2016 से 20.12.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः**- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.05.2014 से 07.06.2014 तक श्री बी.डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सम्पूर्ण पौड़ी जनपद।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष		**2013-14**	**2014-15**	**2015-16 (मार्च 2016 तक)**
प्रा. अवशेष		286.04	712.13	560.34
वर्ष में प्राप्तियाँ	**1- केन्द्रांश**	165.07	37.50	193.27
	2- राज्यांश	2113.29	1606.16	2154.78
	3- ब्याज	15.39	18.18	23.68
	4- अन्य	1715.00	1447.16	1310.77
कुल योग		4294.79	3821.13	4242.84
कुल व्यय		3582.66	3260.79	3591.53
अन्तिम अवशेष		712.13	560.34	651.31

(III) इकाई को बजट कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2014 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
06/2010-11	1,2	1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ` 99.23 लाख का कार्य नियम के विरूद्ध 3 टुकड़ों में बाटा जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली मई 2008 के नियम 42(1) के अनुसार कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग-अलग टुकड़ों ने किये जाये कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़ें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य जल एवं स्वच्छ मिशन के पत्र संख्या 63 A, एन-363 (TC)15-16 दिनांक 20.08.2015 के द्वारा ज्वालपा पेयजल योजना के फिल्टर प्लांट का निर्माण हेतु ` 100.00 लाख धनराशि प्राप्त हुई थी। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल 3 अनुबन्धों का गठन किया गया था, अनुबंध संख्या 73 दिनांक 04.11.2015, अनुबंध संख्या 72 दिनांक 04.11.2015 कार्यों पर ` 100.00 लाख के सापेक्ष ` 99.23 लाख धनराशि व्यय हुई थी, कार्य पूर्ण दर्शाया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि तीनों कार्यों की प्रकर्ति भिन्न-भिन्न होने के कारण कार्य की महत्ता को देखते हुये तीन भागों में बाटा गया था निविदा में गंगा इंजीनियरिंग के दरें न्यूनतम थी इसलिए इसी फर्म से कार्य लिया गया है।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि तीनों अनुबंध 04.11.2015 को ही गंगा इंजीनियरिंग से किए गए थे, एक ही तिथि एक ही ठेकेदार होने के कारण 3 अनुबंध करने का कोई औचित्य नहीं है, इससे यह स्पष्ट है की तीनों अनुबंध उच्च अधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए गठित किए गए थे।

अतः ` 99.23 लाख धनराशि का व्यय टुकड़ों में बांट कर करने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ` 58.13 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़ा रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 99/XXVII/(14)200 दिनांक 03.09.2009 के द्वारा अवगत कराया गया था कि यदि किसी कारणों से समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न हुआ हो ओर उस पर ब्याज अर्जित हो तो उसे राजकोष के 0049 ब्याज प्राप्तियां लेखाशीर्ष में जमा किया जाय। लेखापरीक्षा में पाया कि जल संस्थान, पौडी द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गयाकि दैवी आपदा, जिला/राज्य योजना, एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (ओ.एंड एम.फंड), एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (सपोर्ट फंड) एवं सीमांत पिछड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के लिए आवंटित धनराशि के रख रखाव के लिए सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं दी नैनीताल बैंक लि. में खोले गए है। उपरोक्त मदों/योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि पर माह 11/2016 के अंत तक कुल ` 76.01 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुई थी। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

मद/योजना	खाता सं.	बैंक	अर्जित ब्याज (11/2016 तक)	जमा की गयी धनराशि (11/2016 तक)	अवशेष ब्याज की धनराशि
दैवी आपदा	2025994931	सेंट्रल बैंक	2302515	-----	2302515
जिला योजना	10013963	पी.एन.बी.	1927175	-----	1927175
एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (ओ.एंड एम.फंड)	0102128755	पी.एन.बी.	2457518	1778300	679218
एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (सपोर्ट फंड)	0102129587	पी.एन.बी.	24328	9865	14463
राज्य योजना	102152859	पी.एन.बी.	716979	-----	716979
सीमांत पिछड़ा विकास कार्यक्रम	200829	दी नैनीताल बैंक लि.	172953	-----	172953
योग			**7601468**	**1788165**	**5813303**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्याज के रूप में अर्जित ` 76.01 लाख की धनराशि में से ` 17.88 लाख की धनराशि ही इकाई द्वारा जमा की गयी थी तथा ` 58.13 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि खातों में अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकारते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि से संबंधित अर्जित ब्याज की धनराशि के संबंध में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी।

अतः ` 58.13 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि का खातों में अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ` 352.72 लाख जल मूल्य एवं जल कर की लंबित वसूली नहीं किया जाना।

वसूली पंजिका की नमूना जांच/उपलब्ध करायी गयी सूचना में पाया गया कि कार्यालय द्वारा जारी किए गए जल मूल्य बिलों एवं जल कर बिलों की कुल धनराशि ` 352.72 लाख अवशेष है। जिसका विवरण निम्न है।

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	वसूली का लक्ष्य	वसूली	अंतर
2013-14	616.43	374.69	241.74
2014-15	734.90	434.31	300.59
2015-16	821.51	468.79	352.72

इस धनराशि में से ` 99.88 लाख धनराशि जल कर है जिसे उत्तराखण्ड शासन के द्वारा वर्ष 2006 में माफ कर दिया गया था परंतु धनराशि जल संस्थान को लेखा परीक्षा तिथि तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। शेष धनराशि ` 252.84 लाख जल मूल्य अवशेष है। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में ` 48.48 लाख के सापेक्ष 310 आर सी भेजी गयी थी। दिनांक 30.11.2016 तक आर सी के माध्यम से ` 3.90 लाख धनराशि प्राप्त हुई है एवं शासन से ` 99.88 लाख जल कर धनराशि अप्राप्त है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा दल ने ` 352.72 अवशेष की वसूली के संबंध में पूछा था, ना कि 2016-17 के लक्ष्य पर ` 352.72 लाख वसूली नहीं किए जाने का प्रकरम उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- ` 15.31 लाख की अधिकारियों/फर्मों/विगत के विरूद्ध वसूली/समायोजन शेष रहना।

प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की अभिलेखों की नमूना जांच करने पर यह पाया गया कि विगत कई वर्षों से अधिकारियों/फर्मों एवं विभागों के विरूद्ध ` 15,31,383 की धनराशि समायोजन/वसूली हेतु लम्बित थी। जिसका विवरण संलग्न है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछा गया कि इतने लम्बे समय से अधिकारियों/फर्मों/विभाग के विरूद्ध वसूली/समायोजन की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि समायोजन/वसूली की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र कर ली जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त अग्रिम की राशि वसूली हेतु लम्बित है।

अतः ` 15.31 लाख की अधिकारियों/फर्मों/विभाग के विरूद्ध वसूली/समायोजन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र.सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली/समायोजन करना शेष है।	धनराशि
1.	श्री सतीश चन्द्र गौर	21,651
2.	श्री टी.एन. वर्मा	19,422
3.	श्री राजीव सैनी	4,900
4.	श्री शुशीले कुमार	26,080
5.	श्री सोहन सिंह	6,100
6.	श्री मुजाहिद अहमद	1,11,425
7.	श्री संजय कुमार	1,45,976
8.	श्री विनोद भट्ट	70,000
9.	श्री सुनील बिस्ट	542
10.	श्री टी.एन. शर्मा	50,000
11.	श्री राजेन्द्र राणा	4,92,248
कुल योग (क)		**9,48,644**
क्र.सं.	**फर्मों/विभागों के नाम जिनके विरूद्ध वसूली हेतु शेष है।**	**धनराशि**
1.	आई.आई.टी. रूड़की	99,645
2.	मै. नारायणघाटी	90,027
3.	मै. हिमालय ग्रास रूट रानीखेत	55,000
4.	मै. सुरदर्शन टायर देहरादून	1,00,000
5.	मै. जनरल स्टोर	16,965
6.	मै. औसिस इंजी	5,000
7.	मै. जैकसन इन्टरप्राइजेज	22,925
8.	मै. असवाल रोड लाइट	65,000
9.	मै. गढ़वाल मोटारेस	74,177

10.	मै. सुरदर्शन टायर	54,000
कुल योग (ख)		5,82,739
महायोग (क)+(ख)		15,31,383

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

(अ) उक्त अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/अधिशासी अभियन्ता/लेखाधिकारी का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री आर.के. रोहेला	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से 31.08.2015 तक
2.	श्री प्रवीण कुमार सैनी	अधिशासी अभियन्ता	31.08.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)